न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
38 / 2024	23.4.2024	19.03.2025

लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) तहसील गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामसहाय, नाई निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. उप पंजीयक गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— प्रतिनिधि, लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
श्री सन्तोष वर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चूली स्थित भूमि ख0नं0 2538 / 1146 रकबा 0.8050 है0 ओमप्रकाश पुत्र रामसहाय जाति नाई निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी के नाम खातेदारी में दर्ज है। पटवारी हलका की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में अप्रार्थीगण ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के, बिना कोई भू—परिवर्तन कराए कृषि से भिन्न कार्य में उपयोग लिया है जो अवैधानिक है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण भूमि को सिवायचक घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम चूली स्थित भूमि ख0नं0 2538 / 1146 रकबा 0.8050 है0 को कब्जा राज में लिया जावे एवं अप्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को सिवायचक किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि ग्राम चूली स्थित भूमि ख0नं0 2538 / 1146 रकबा 0.8050 है0 कृषि भूमि है। उक्त भूमि का अप्रार्थी ने कृषि कार्य से भिन्न कार्य में कभी उपयोग उपभोग नहीं किया है। भूमि खाली पडी हुई है एवं कृषि कार्य में ही उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र गलत आधार पर प्रस्तुत किया है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने प्रति जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 769 एवं रिपोर्ट पटवारी हलका खानपुरबडौदा प्रस्तुत किए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:10:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

जबाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में अप्रार्थी ने उसके द्वारा प्रस्तुत धारा 90 ए के प्रार्थनापत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र धारा 177 आर0टी0एक्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के प्रतिनिधि ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है एवं अप्रार्थी खातेदार द्वारा वादग्रस्त भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि कार्य के बजाय अकृषि प्रयोजन में परिवर्तित किया जा रहा है जो कानूनन वैद्य नहीं है एवं अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत वादग्रस्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जाकर भूमि से अप्रार्थी को बेदखल किया जावे एवं वादग्रस्त भूमि कब्जेराज में ली जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप करते हुए कहा कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी द्वारा भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाने हेतु धारा 90 क एल0 आर0 एक्ट के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र नगर परिषद् गंगापुर सिटी में प्रस्तुत किया हुआ है परन्तु वर्तमान कार्यवाही के चलते अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का नगर परिषद् गंगापुर सिटी से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अप्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया ह, भूमि पर कृषि हो रही है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत वर्तमान कार्यवाही समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 769 के अनुसार ग्राम चूली स्थित भूमि ख0नं0 2538/1116 रकबा 0.8050 है0 अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रही है। पटवारी हलका खानपुरबडौदा की रिपोर्ट के अनुसार भूमि अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि में धारा 90 क की कार्यवाही करवाए बिना ही प्लाटिंग कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि को धारा 90 क एल0 आर0एक्ट के तहत रूपान्तरित कराने हेतु सक्षम कार्यालय नगर परिषद् कार्यालय गंगापुर सिटी में आवेदन कर दिया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं जबाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं। अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 90 क के तहत अकृषि कार्य में परिवर्तित किए जाने हेतु सक्षम कार्यालय नगर परिषद् गंगापुर सिटी में आवेदन प्रस्तुत किया है । ऐसी स्थिति में अब धारा 177 आर0टी0एक्ट के तहत प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र में अब अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है परन्तु हम अप्रार्थी को यह निर्देश देना उचित समझते है कि अप्रार्थी धारा 90 क की कार्यवाही पूर्ण होने तक वादग्रस्त भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग में नहीं लेवें एवं इसी प्रकार प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:10:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट में अप्रार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह ग्राम चूली स्थित भूमि ख0नं0 2538/1146 रकबा 0.8050 है0 में धारा 90 क लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही पूर्ण हुए बिना उपरोक्त वर्णित भूमि को अकृषि कार्य के उपयोग में नहीं लेवें। इसी अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट निस्तारित किया जाता है। निर्णय की प्रति लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रेषित की जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:10:15 IST
Reason: SelfAttested